



सत्यमेव जयते

कार्यालय / Office

कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt. of Personnel, Raipur Division  
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway

दू.मा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फ़ैक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

No: E/ PB/ R/ Rectt/ Act Appr./ 01/2022-23

Date: 25.04.2022

IgnouNetwork.com



Skill India  
शरीरानुसार - कुशल भारत

**NOTIFICATION**

Sub:- Engagement for Act Apprenticeship under Apprentices Act- 1961 and Apprenticeship Rules-1962 in SECR Raipur & Wagon Repair Shop, Raipur for the year 2022- 23.

\*\*\*

Online applications through the website: <https://apprenticeshipindia.org> from **25.04.2022 to 24.05.2022**(till night 24.00 hrs) are invited from the eligible candidates for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act-1961 in Raipur Division & Wagon Repair Shop/ Raipur of SECR against the following designated trades:-

**1. DRM OFFICE, RAIPUR DIVISION E05202200048**

Srl. No.	TRADE	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	PWD	Ex. Ser. Man
1	WELDER(Gas & Electric)	48	12	32	18	09	119	05	12
2	TURNER	30	08	21	11	06	76	03	08
3	FITTER	80	20	53	30	15	198	08	20
4	ELECRTICIAN	62	15	42	23	12	154	06	15
5	STENO GRAPHER (English)	03	01	03	02	01	10	00	01
6	STENO GRAPHER (Hindi)	03	01	03	02	01	10	00	01
7	COMP. OPER. & PROG. ASSISTENT	03	01	03	02	01	10	00	01
8	HEALTH & SANATORY INSPECTOR	06	02	05	03	01	17	01	02
9	MACHINIST	12	03	08	05	02	30	01	03
10	MECHENIC DIESEL	12	03	08	05	02	30	01	03
11	MECH. REFRIG. & AIR CONDITINER	05	01	03	02	01	12	00	01
12	MECHANIC AUTO ELECTRICAL & ELECTRONICS	12	03	08	05	02	30	01	03
<b>TOTAL</b>		<b>276</b>	<b>70</b>	<b>189</b>	<b>108</b>	<b>53</b>	<b>696</b>	<b>26</b>	<b>70</b>

**2. WAGON REPAIR SHOP, RAIPUR E11152200001**

Srl. No.	TRADE	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	PWD	Ex. Ser. Man
1	FITTER	56	14	38	21	11	140	06	14
2	WELDER	56	14	38	21	11	140	06	14
3	MACHNIST	08	02	05	03	02	20	00	02
4	TURNER	06	02	04	02	01	15	00	02
5	ELECTRICIAN	06	02	04	02	01	15	00	02
6	COMP. OPER. & PROG. ASSISTENT	02	01	01	01	00	05	00	01
7	STENO GRAPHER (Hindi)	01	00	01	00	00	02	00	00
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>	<b>35</b>	<b>91</b>	<b>50</b>	<b>26</b>	<b>337</b>	<b>12</b>	<b>35</b>

1. **Educational qualification/ Technical Qualification:**

- a) Must have passed 10<sup>th</sup> class examination under 10+2 system of education or its equivalent with minimum 50% (aggregate) marks.
- b) Must have passed I.T.I course in relevant trade from a Recognized Institution.
2. **Age Limit:** The candidates should have completed 15 years of age and should NOT have completed 24 years of age as on 01.07.2022. \* The upper age limit is relax able by 05 years for SC/ ST candidates, 03 years for OBC, 10 years for Ex-Servicemen and PWD.

Srl No	Community	Candidate should be born between(both dates inclusive)
01	UR	01-07-1998 To 01-07-2007
02	SC	01-07-1993 To 01-07-2007
03	ST	01-07-1993 To 01-07-2007
04	OBC	01-07-1995 To 01-07-2007
05	PWD/ Ex-Servicemen	01-07-1988 To 01-07-2007

\* Relaxation in age is subject to submission of recent caste certificate.

3. **The period of Apprentice training & Stipend:** Selected candidates will be engaged as apprentices and they will undergo apprenticeship training for a period 1 Year for each trade. They will be paid stipend during their training as per the rules of State Government of Chhattisgarh. Their training will be terminated after the completion of their apprenticeship.

4. **Criteria for preparing merit list in the selection:**

The following criteria are prescribed for preparation of merit in the selection: -

Taking the average of the % age marks obtained by the candidates in both Matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] and ITI examination giving equal weight age to both (Railway Establishment Rule 201/ 2017).

5. **Medical Examination:**

Selected candidates may be advice to bring medical certificate at the time of document verification in the prescribed Performa as per Apprenticeship act 1961 and Para 4 of the apprenticeship Rule 1992(As amended from time to time). The Medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (GAZ). Not below the rank Asstt. Surgeon of Central/State Hospital.

6. **Contract:**

The selected candidates or, if he is minor, his guardian has be enter into a contract of apprenticeship with the employer.

7. **Offer of acceptance of engagement:**

It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to any apprentice after completion of training, nor shall it be obligatory for the apprentices to accept any employment, if offered by the employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961.

8. **Ex-Servicemen**

- 9.1 Ex-Servicemen candidates selected under the reservation of 10% provided for them are to be placed in the appropriate category viz. UR/ SC/ ST/ OBC to which they belong. Reservation to Ex-Servicemen, their children and children of Armed Force personnel will be for Apprenticeship as per details mentioned below: -

- A. Children of deceased/ disabled Ex-Servicemen including those killed/disabled during peace time.  
B. Children of Ex-servicemen. C. Children of Serving Jawans. D. Children of Serving Officer E. Ex-Servicemen.

9. **Last date for receipt of application:** The online application completed in all respect, can be submitted through online from 25.04.2022 up to 24.05.2022 (24.00 Hrs). No physical copy of the application is required to be sent to Raipur division or Wagon Repair shop/ Raipur.
10. **General instruction to the candidates:**
- Applications must be submitted online only on the web address <https://apprenticeshipindia.org>
  - If a candidate belongs to SC/ST/OBC community, he should upload recent caste certificate issued by competent authority on the above web portal and also verified your Aadhar.
  - CANVASSING IN ANY FORM SHALL DISQUALIFY THE CANDIDATES.**
  - No Travelling Allowance/ Daily allowance shall be paid to the candidates.
  - The candidates will have to upload soft/scanned copy of present passport size color photograph and scanned signature along with necessary documents pertaining to education/ technical qualification on the website.
  - Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any discrepancy noticed.
  - If it is noticed by the Railway Administration that the applicant has furnished wrong/fake certificates/false certificates, the Railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without notice even after his selection to undergo training.
  - The Railway Administration does not undertake any responsibility for sending reply to the candidates either selected or otherwise. No correspondence in respect of the applications submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.
  - The Railway Administration will not be responsible for any printing error.
  - Persons with disability (PWD) who want to avail the benefit for reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority with not less than 40% of disability i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State government.
  - The decision of the Railway administration in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications and mode of selection shall be final.

11. **Helpline Contact: -**

01	Land Line No-	0771.2252294	In case of any query please contact this office during Office hours (Monday to Friday/in working day 10:00 AM to 17:30 PM).
		0771.2252292	
02	Office Address	Sr. Divisional Personnel Office, DRM Office Complex, Near Waltiar Gate, Raipur (C.G.) Pin No- 492008	

(R Shankaran)

Assistant Personnel Officer  
For Sr Divisional Personnel Officer  
Date: 25.04.2022

No: E/ PB/ R/ Rectt/Act Appr./ 2019/01/2022-23

Copy for information and necessary action to:

- PCPO/ SECR/ BSP for information.
- PS to DRM for kind information of DRM/ Raipur please.
- Sr.DCM/ SECR/ R for publication.
- CMIT Office/Bilaspur for upload in the SECR Web site.
- Notice Boards & IT Cell/Personnel/R.

For Sr Divisional Personnel Officer



सत्यमेव जयते

**कार्यालय / Office**

कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt. of Personnel, Raipur Division

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway

दूभा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फ़ैक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

कमांक.-ई/पीबी/आर/भर्ती/एक्ट.अप्रेंटिस/01/2022-23

दिनांक 25.04.2022



**अधिसूचना**

विषय:- वर्ष 2022-23 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसेस का नियोजन ।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद, नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिसशिप हेतु नियोजन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से <https://apprenticeshipindia.org> वेबसाइट पर दिनांक 25.04.2022 से 24.05.2022 (रात 12 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

डी.आर.एम. आफिस, रायपुर मंडल E05202200048

क.	ट्रेड	अना	ई.डब्लू.एस.	अ.पि.व.	अ.जा	अ.ज.जा	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	वैल्डर	48	12	32	18	09	119	05	12
2	टर्नर	30	08	21	11	06	76	03	08
3	फिटर	80	20	53	30	15	198	08	20
4	इलेक्ट्रिशियन	62	15	42	23	12	154	06	15
5	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	03	01	03	02	01	10	00	01
6	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	03	01	03	02	01	10	00	01
7	कोपा	03	01	03	02	01	10	00	01
8	हेल्थ एण्ड सेनेटरी इस्पेक्टर	06	02	05	03	01	17	01	02
9	मशीनिष्ट	12	03	08	05	02	30	01	03
10	मेकेनिक डीजल	12	03	08	05	02	30	01	03
11	मेकेनिक रेफरीजरेटर एवं एयर कंडीशनर	05	01	03	02	01	12	00	01
12	मेकेनिक आटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स	12	03	08	05	02	30	01	03
कुल		276	70	189	108	53	696	26	70

वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर E11152200001

क.	ट्रेड	अना.	ईडब्लू एस	अ.पि.व.	अ.जा	अ.ज.जा	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	फिटर	56	14	38	21	11	140	06	14
2	वैल्डर	56	14	38	21	11	140	06	14
3	मशीनिष्ट	08	02	05	03	02	20	00	02
4	टर्नर	06	02	04	02	01	15	00	02
5	इलेक्ट्रिशियन	06	02	04	02	01	15	00	02
6	कोपा	02	01	01	01	00	05	00	01
7	स्टेनोग्राफर ( हिन्दी )	01	00	01	00	00	02	00	00
कुल		135	35	91	50	26	337	12	35

**1. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-**

अ) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वीं (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा)।

ब) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अ.प. 25/4/2022

2. **आयुसीमा :-** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2022 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 05 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 03 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट होगी। समुदायवार जन्मतिथि निम्नानुसार होनी चाहिए:-

क्रमांक	समुदाय	अभ्यर्थी की जन्म तिथि निम्न दोनों तिथियों के मध्य की होनी है।
01	अनारक्षित	01.07.1998 से 01.07.2007
02	अनुसूचितजाति	01.07.1993 से 01.07.2007
03	अनुसूचितजनजाति	01.07.1993 से 01.07.2007
04	अन्य पिछड़ावर्ग	01.07.1995 से 01.07.2007
05	दिव्यांग/भूतपूर्वसैनिक	01.07.1988 से 01.07.2007

उम्र में छूट हाल के जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जायेगा।

3. **अप्रेंटिसप्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति :-** चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किये जायेंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिस शिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जायेगा। नियोजित प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा।

4. **चयनप्रक्रिया :-** प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई. में प्राप्त अंक प्रतिशत को समानभारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जायेगी। (स्थापना नियम क्रमांक 201/2017)

5. **चिकित्सापरीक्षण :-** चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाणपत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रिय/राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायकसर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए।

6. **सविदा :-** चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिक है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक/अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

7. **रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :-** प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और ना ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों कि भली भाँति जानकारी प्राप्त कर ले।

8. **भूतपूर्व सैनिक:-** 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के, भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार नियोजित किया जाएगा।

क) मृत सैनिक के बच्चे/युद्ध के समय शहीद/दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्वसैनिक के बच्चे, ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्वसैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे।

9. **आवेदनप्राप्ति की अंतिमतिथि :-** पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 25.04.2022 से 24.05.2022 रात 12 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।

10. **अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:-**

क) यदि अभ्यर्थी केवल <https://apprenticeshipindia.org> वेबसाइट के माध्यम से ही ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करें।

ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र का वेबपोर्टल पर अपलोड करें तथा आधार वैरिफिकेशन भी अनिवार्य है।

ग) किसी भी प्रकार के पैरवी/दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए/डीए नहीं दिया जायेगा।

ङ) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी।

च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत/जाली/झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।

छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।

30.2.2022  
25/4

इ) अभ्यार्थी के आवेदन की स्वीकृति, अस्वीकृति पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

**11. सहायता हेतु:-**

01	दूरभाष नंबर	0771-2252294	अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10:00 से संध्या 17:30 तक के मध्य संपर्क किया जा सकता है।
		0771-2252292	
02	कार्यालय का पता	वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, वॉल्टेयर गेट के निकट, रायपुर (छ.ग.) पिन संख्या:-492008	

नोट- किसी संशय/विरोधाभाष कि स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा।

आर. शंकरन 25/4/22

(आर. शंकरन)

सहायक कार्मिक अधिकारी  
कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी  
दिनांक 25.04.2022

ई/पीबी/आर/भर्ती/एक्ट.अप्रेंटिस/01/2022-23

प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/द.पू.म.रेलवे को सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक के निज सचिव को मं.रे.प्र. के सादर सूचनार्थ।
3. सी.एम.आई.टी. कार्यालय/बिलासपुर को अधिसूचना को एस.ई.सी.आर. वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
4. वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक/द.पू.म.रे./रायपुर को अधिसूचना के प्रकाशन/प्रचार हेतु।
5. सूचनापटल एवं आई.टी. सेल/कार्मिक/रायपुर।

25.04.22

कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी